उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज

राष्ट्रीय शिल्प मेला 01 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2021 के लिए नियम एवं शर्तें

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा दिनांक 01 से 12 दिसम्बर 2021 तक आयोजित राष्ट्रीय शिल्प मेले में स्टालों का आवंटन निम्न नियम एवं शर्तो के अधीन होगा :—

1. शिल्प/व्यंजन के लिए प्रस्तावित स्टालों व उनके लिए नियत की गयी दरों का विवरण संलग्नक–1 व 2 पर संलग्न है। स्टालों की संख्या आवेदकों की संख्या के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
2. जिन शिल्प/व्यंजन के लिये स्टालों की नियत संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे उन स्टालों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। जिसकी सूचना बेवसाइट के द्वारा जारी की जायेगी।
3. जिन शिल्प/व्यंजन के स्टालों का उल्लेख संलग्नक–1 व 2 में नही है उनके लिए दरों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।
4. जिन आवेदकों को स्टाल का आवंटन नहीं हो सकेगा, उन्हें उनके द्वारा जमा किया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
5. शिल्प के स्टाल के लिए जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसको शिल्पकार होने का प्रमाण पत्र बुनकर कार्ड/(D.C.H.) द्वारा निर्गत पहचान पत्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रति आदि प्रस्तुत करना होगा, शिल्पकारों से अपेक्षित होगा कि यथासम्भव बिक्री के साथ–साथ दिन में कुछ समय शिल्प बनाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी करें।
6. व्यंजन के स्टाल के लिए एक आवेदक एक ही आवेदन कर सकता है। व्यंजन के स्टाल के लिए जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसे इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेने के प्रमाण पत्र जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्गत/खाद्य प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी हागी। व्यंजन के स्टाल के आवेदकों को अपने व्यंजनों के दरों की सूची आवेदन के साथ प्रेषित करनी होगी तथा यह सूची स्टाल पर भी प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का सम्पूर्ण दायित्व व्यंजनकार का होगा और इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी वाद/हानि का सम्पूर्ण दायित्व (वित्तीय एवं अन्य) विक्रेता को वहन करना होगा। राज्य विशेष के लिये उस राज्य के आवेदक को स्थानीय आवेदक से वरीयता दी जायेगी।
7. केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगें तथा मुख्य शिल्पकार को स्टाल पर रहना अनिवार्य होगा। **मुख्य शिल्पकार के न रहने पर स्टाल बन्द करा दिया जायेगा।**
8. व्यंजन के स्टाल पर मुख्य व्यंजनकार के अतिरिक्त अधिकतम तीन सहायकों को रहने की अनुमति होगी। साथ ही मुख्य शिल्पकार के साथ एक सहायक के रहने की अनुमति होगी।
9. स्टाल खुलने की अवधि प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक होगी। रात्रि 10.00 बजे के बाद से प्रातः 5.00 बजे तक शिल्पहाट के बाहर आने–जाने की अनुमति नहीं होगी।
10. निर्धारित तिथि तक स्टाल हेतु पूर्ण धनराशि जमा न करने की दशा में स्टाल का आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13.10.21 अनुराधा 13/10

11. शिल्पकार/व्यंजनकार को अपने सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी और उन्हें आवंटित स्टाल के पीछे रहना होगा तथा शीतकाल को ध्यान में रखते हुए बिस्तर साथ लाना होगा। बिजली का हीटर/चूल्हा जलाना मना है। उक्त को जलाते हुए पाये जाने पर तत्काल आवंटन निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. शिल्पकार/व्यंजनकार को जिस शिल्प/व्यंजन के लिए स्टाल आवंटित किया जायेगा उसको उसी शिल्प/व्यंजन के विक्रय की अनुमति होगी।
13. शिल्पकार/व्यंजनकार अपने स्टालों को स्वच्छ रखेंगे तथा शिल्प/व्यंजन को समुचित ढंग से प्रदर्शित करेंगें।
14. सक्षम अधिकारी किसी भी समय पूर्ण मेला परिसर के किसी भी हिस्से का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. मेला परिसर में नशा करना अथवा नशीले पदार्थो का लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि किसी के पास इस प्रकार की सामग्री पायी जाती है तो उसके स्टाल का तत्काल आंवटन निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है।
16. मेला परिसर में केवल वही शिल्पकार व उनके सहायक रहेंगे जो अधिकृत होंगे। अन्य व्यक्तियों को रहने की अनुमति नहीं होगी।
17. आवेदन पत्र के साथ शिल्पकारों को आधारकार्ड की छाया प्रति के साथ दो पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ शिल्प की फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य है।
18. केन्द्र परिसर में पॉलीथिन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
19. जो शिल्पकार व्यंजनकार लगातार तीन वर्षो से शिल्प मेले में भाग ले रहे है उनके आवेदन पत्रों पर नये शिल्पकारों/व्यंजनकारों को वरीयता प्रदान की जायेगी। स्टालों के उपलबध होने पर पुराने शिल्पकारो/व्यंजनकारों को स्टाल आवंटन किया जायेगा।
20. खान–पान/शिल्प के स्टालों हेतु निदेशक को यह अधिकार होगा कि यदि कोई व्यंजनकार/शिल्पकार सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ के स्टाल लेना चाहता है तो एक व्यंजनकार को स्टाल दिया जा सकता है। बशर्ते व्यंजनकार पारम्परिक हो और उसे मेले/प्रदर्शनी में खाद्य स्टाल लगाने का 5 वर्षो का अनुभव हो। साथ ही खाद्य पदार्थ का लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
21. केन्द्र कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 11 नवम्बर 2021 को सायं 6.00 बजे तक है।
22. किसी विवाद की दशा में निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र का निर्णय अन्तिम व सभी को मान्य होगा।

नोट – उपर्युक्त नियम/शर्तो का उल्लंघन करने पर स्टाल का आवंटन निरस्त करते हुए शिल्पकार/व्यंजनकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। बिना आधार कार्ड एवं आवेदन पत्र के आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। एक ही पता अलग–अलग नामों से पाये जाने पर भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदकों के बैंक ड्राफ्ट वापस नहीं किये जायेंगे।

अनुरागपक्षी 13/10

13.10.21

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

मध्योत्तरी

Ministry of Culture
Government of India

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय शिल्पमेला 01 से 12 दिसम्बर 2021 तक आयोजित

आवेदक की स्वप्रमाणित फोटो

1. शिल्पकार का नाम :–..

2. पिता/पति का नाम (हिन्दी) में :–..

3. शिल्पकार का पूरा पता :–:–..

....पिनकोड :–...

4. बैंक का नाम :–...बैकड्राफ्ट संख्या :–...

बैंक खाता संख्या :–...आई0एफ0सी0 कोड संख्या :–.............................

7. हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन संख्याः–...

8. हस्तशिल्प सम्मान/राष्ट्रीय पुरस्कार/विकास आयुक्त/भारत सरकार या अन्यः–...................................

9. हस्तशिल्प विधा से सम्बन्धित शिल्प का नाम :–...

10. आधार नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें) :–...

11. दूरभाष, मोबाइल नं0/ई–मेल ....

12. आवेदक की श्रेणी – सामान्य/अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग

नोट–शिल्प निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण/शिल्प से सम्बन्धित फोटोग्राफ स्पष्ट अक्षरों मे लिखे।

संलग्नक–नियम।

आवेदक का हस्ताक्षर

नामः–..

पताः–..

....

मोबाइल नम्बर..

फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 11 नवम्बर 2021, सांयकाल 6.00 बजेतक, अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन फार्म स्वीकार नही किया जायेगा।

मध्योत्तरी

Ministry of Culture
Government of India

North Central Zone Cultural Centre, Prayagraj

Ministry of Culture, Govt. of India

Rashtriya Shilp Mela, 01-12 Dec 2021

Self attested photograph of the Applicant

1. Name of the Craftsmen :-..
2. Father's Name/Spouse Name :-..
3. Address :-..

.... Pincode :-..

4. Bank Name :-.......................................Bank Draft No. :-..........................

Bank Account No.:-.......................................I.F.S.C :-..........................

7. Registration No. provided by Handicrafts Development Commissioner:-..........................

....

8. Handicraft Awards/National Awards/Development Commissioner/Govt. of India or others :- ....

9. Crafts name related to Handicraft :-..
10. Adhaar No. (attach photocopy) :-..
11. Mobile No./e-mail ID :- ....
12. Applicant's Group - General/SC/ST/OBC/other

Note- Brief details of Craft Manufacturing Process/Photographs related to craft

Attachment - Rules

Applicant's Signature

Name:-..

Address:-..

....

Mobile No..

Form submission last date is 11 Nov 2021, till 6:00 pm, late submission will not be accepted.

राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021–2022 हेतु शिल्पों का नाम, दर एवं स्टालों की संख्या का विवरण

संलग्नक–1

राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021–2022 हेतु शिल्प के स्टालों के लिए प्रस्तावित दर एवं स्टालों की संख्या का विवरण दिनाँक 01 दिसम्बर 2021 से 10 दिसम्बर 2021 तक

क्र० सं०	शिल्प का नाम	आवेदकों की संख्या	प्रस्तावित धनराशि (रुपये में)	स्टालों की अन्तिम संख्या
1.	टेराकोटा		22100	03
2.	पीतल की मूर्ति		20500	02
3.	गुजराती शाल		23600	02
4.	कालीन		38900	02
5.	ग्लास बीड		22100	01
6.	ब्लू आर्ट पाटरी		38900	03
7.	मोती/समुद्री सिप्पी (Pearl)		33100	02
8.	स्टोन पेंटिंग राजस्थानी		16800	02
9.	चर्म शिल्प		27800	03
10.	स्टोन ज्वैलरी/मीनाकारी		33100	02
11.	धान ज्वैलरी		22100	01
12.	आर्टीफिशियल ज्वैलरी		34100	03
13.	पंजाबी जूती		27800	02
14.	राजस्थानी जूती		27800	01
15.	भागलपुरी सिल्क/चादर		23600	01
16.	हैंड इम्बायडरी प्रत्येक राज्य के		23600	07
17.	पैचवर्क/ऐपलिक		23600	01
18.	सांगानेरी प्रिन्ट चादर		23600	01
19.	चादर हैण्डब्लाक		34100	03
20.	जरी		31500	02
21.	बनारसी साड़ी		31500	02
22.	चन्देरी साड़ी		31500	02
23.	कुर्ता पैजामा/खादी शर्ट		23600	02
24.	लेडीज कुर्ती स्कर्ट आदि		23600	01
25.	लकड़ी के खिलौने		16800	02
26.	रंगोली		12600	01
27.	इत्र		16300	01
28.	जूट वर्क		22100	02

13/10/21 13/10 13/10/2

29.	जूट के जूते चप्पल		22100	01
30.	लाख की चूड़ियाँ		16300	02
31.	कश्मीरी शॉल/इम्ब्रायडरी		38900	03
32.	कपडे पर चित्रकारी पश्चिम बंगाल		22100	01
33.	काथा वर्क		31500	02
34.	हिमांचल शॉल		31500	02
35.	सिल्क मैटेरियलं		31500	02
36.	पोचमपल्ली चादर/साड़ी		21500	01
37.	ऊलेन सदरी चादर उत्तराखण्ड		31500	01
38.	फुलकारी		31500	02
39.	ब्रास वर्क मुरादाबाद		20500	02
40.	डिजाइनर चादर		44600	01
41.	जयपुरी रजाई		38900	02
42.	ड्राई फ्लावर		22100	03
43.	हैण्डलूम चादर		31500	02
44.	पेंटिंग		16800	03
45.	कपड़ा बैग/कलात्मक/कुशन कवर		22100	02
46.	अगरबत्ती		15800	02
47.	वुडवेयर, उ०प्र०		26300	01
48.	प्लाई निर्मित कार्टुन खिलौने		16800	01
49.	पेपरमैसी		13100	01
50.	माहेश्वरी साड़ी		23600	01
51.	घास की चटाई		16800	02
52.	काँच का सामान/चूड़ी		16800	01
53.	ब्रास/मेटल चूड़ी		20500	01
54.	केन–बम्बू फर्निचर आसाम		29400	01
55.	कोशिया, आंध्र प्रदेश		11000	01
56.	मेटल ज्वैलरी		31500	01
57.	ग्लास पेंटिंग (गोल्ड)		16300	01
58.	मोजाइक ग्लास पार्टी हैंगर		15800	01
59.	पेपरक्राफ्ट		16300	01
60.	लहंगा चोली, राज./गुजरात		23600	01
61.	चिकनकारी, उ०प्र०		23600	01
62.	विभिन्न प्रकार के क्लाथ कवर		22100	01

63.	स्थानीय कढ़ाई		44100	01
64.	डेकोरेटिव आइटम (टेराकोटा लैम्प आदि)		16300	01
65.	केन बम्बू डेकोरेटिव आइटम		16800	01
66.	नमदा		16300	01
67.	संगमरमर की मूर्ति एवं अन्य सामान		22100	01
68.	महाराष्ट्रीयन साड़ी		31500	01
69.	ऐपलिक, उड़ीसा		12100	01
70.	वुडवर्क, महाराष्ट्र		16300	01
71.	मधुरई काटन		21500	01
72.	कोटा साड़ी		31500	01
73.	चमड़े के जूते चप्पल		22100	01
74.	डिजाइनर लिफाफे/जूट सामाग्री		16300	01
75.	ट्राईफेड			02